न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र सं0 15/2016

1.श्री भूपेन्द्र कुमार पुत्र श्री अकलसिंह जाति भील नि0 बडगांव पुलिस थाना कुआं जिला डूंगरपुर राज0

.........**प्रार्थी**

बनाम

राज सरकार जरिये पुलिस थाना नसीराबाद सदर जिला अजमेर। .... **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र वास्ते सुपुर्दगी अन्तर्गत धारा 7 राजस्थान गोवंशीय पशु (वद्य का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियम) अधिनियम,1995
(प्रथम सूचना संख्या 92/2016 सरकार बनाम बल्लू वगैरह)

उपस्थित :— 1. कुलदीप रसिया, दीपेन्द्र सिंह गुर्जर अभिभाषक प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार

आदेश **दिनांक— 28.12.2016**

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वास्ते सुपुदर्गीनामा अन्तर्गत धारा 7 गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के गौवशं 4 बैल पुलिस थाना नसीराबाद सदर जिला अजमेर द्वारा प्रथम सूचना संख्या 92/16 अन्तर्गत धारा 9 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 व 11 डी ई पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के अन्तर्गत जब्त किया गया है। जब्त गौवशं बैलो को प्रार्थी द्वारा बघेरा मेले से कृषि कार्य हेतु कय किये थें। पुलिस द्वारा उक्त बैलों के सम्बन्ध में अनुसंधान पूर्ण कर लिया गया है। पुलिस को अब इन बैलो की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिक समय बैलों के गौशाला में रहने से उनके बीमार पडने की संभावना है। प्रार्थी उक्त बैलो को सुपुर्दगीनामें पर छोडने के सम्बन्ध में मान0 न्यायालय की प्रत्येक शर्ते व आदेशों की पालना करने को तैयार हैं। अतः प्रार्थी के 4 बैलों को सुपुर्दगी नामें पर छोड़े जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर थानाधिकारी नसीराबाद सदर से पैरावाइज टिप्पणी मय केस डायरी तलब की गई। टिप्पणी मय केस डायरी प्राप्त होने पर प्रकरण वास्ते सुनवाई नियत किया गया। उपस्थित को सुना गया।

उपस्थित अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि प्रार्थी के गौवशं 4 बैल पुलिस थाना नसीराबाद सदर जिला अजमेर द्वारा प्रथम सूचना संख्या 92/16 अन्तर्गत धारा 9 राजस्थान

28/12/16
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 व 11 डी ई पशु कूरता अधिनियम 1960 के अन्तर्गत जब्त किया गया है। जब्त गौवशं बैलो को प्रार्थी द्वारा बघेरा मेले से कृषि कार्य हेतु कय किये थें। पुलिस द्वारा उक्त बैलों के सम्बन्ध में अनुसंधान पूर्ण कर लिया गया है। पुलिस को अब इन बैलो की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिक समय बैलों के गौशाला में रहने से उनके बीमार पडने की संभावना है। प्रार्थी उक्त बैलो को सुपुर्दगीनामें पर छोडने के सम्बन्ध में मान0 न्यायालय की प्रत्येक शर्ते व आदेशों की पालना करने को तैयार हैं। अतः प्रार्थी के 4 बैलों को सुपुर्दगी नामें पर छोडे जाने के आदेश प्रदान करावें।

पैरोकार सरकार का कथन है कि परिवादी श्री रवि कुमार वैष्णव पुत्र श्री हरिशंकर जाति वैष्णव निवासी अजमेर रोड केकडी नगर सयोजक बजरंग दल तथा जिला उपाध्यक्ष गौरक्षा दल, अजमेर द्वारा लिखित रिपोर्ट पेश कर दिनांक 30.03.2016 को प्रकरण संख्या 92/16 अन्तर्गत धारा 9 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 व 11 डी ई पशु कूरता अधिनियम 1960 के तहत पुलिस थाना नसीराबाद सदर जिला अजमेर में दर्ज करवाया गया। दौराने अनुसंधान आरोपीगण बल्लु पुत्र पेमा जाति बनजारा निवासी रंगा स्वामी बस्ती कुडाल थाना डबोक जिला उदयपुर, मांगीलाल पुत्र रूपलाल जाति भील उम्र 25 वर्ष निवासी भमातफली पियोला, थाना कुआ जिला डूंगरपुर, नृसिंह उर्फ नरेश पुत्र कालु राम जाति भील उम्र 24 निवासी चारवाडा थाना धम्बोला जिला डूंगरपुर, व भुपेन्द्र कुमार पुत्र अकलसिंह जाति भील उम्र 30 साल निवासी बडगाव तहसील चिकली थाना कुआ जिला डूगरपुर द्वारा वाहन ट्रक संख्या RJ27-GB-0797 में अवैध गौवंश 19 बैलो को बिना परमीट के कुरता पूर्वक परिवहन करने पर वाहन एवं बैलों को जरिये फर्द कब्जा पुलिस लिया गया तथा आरोपियों को जरिये फर्द गिरफतार कर गहावान के बयान लिये गये। बैलो के मेडिकल करवानें पर कुछ बैलो के चौट आना पाया गया। जब्त बैलो को उचित चारा पानी की व्यवस्था के तहत अस्थाई रूप से विजय गौशाला सरहद खारी का लाम्बा, गुलाबपुरा, जिला भीलवाडा को सुपुर्दगी में दिये गये है। मुलज्मिान के विरूद्ध प्रकरण संख्या 92/16 अन्तर्गत धारा 9 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 व 11 डी ई पशु कूरता अधिनियम 1960 के तहत पुलिस थाना नसीराबाद सदर जिला अजमेर में दर्ज है। पुलिस अनुसंधान में अपराध प्रमाणित पाया गया है। न्यायालय ट्राईल जारी है। राजस्थान गौवंशीय (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 2 के (छ) में सक्षम अधिकारी से किसी जिले का कलक्टर अभिप्रेत है। धारा 7 अभिग्रहित गौवंशीय पशु की अभिरक्षा और निपटारा के तहत् अभिग्रहित गौवंशीय पशुओं की अन्तरिम अभिरक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है जिसमें निम्नांकित में से किसी को सुपुर्द किया जा सकता है :-

1- गौवंशीय पशुओं के कल्याण के लिये कार्यरत मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन या एजेन्सी
2- राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 के उप बन्धों के अधीन शासित गौशाला
3- ऐसा कोई गौ-सदन अथवा

28/11/16

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

4– इन तीनों के अभाव में किसी भी अन्य एजेन्सी गौशाला, गौ–सदन या अन्य उपयुक्त व्यक्ति को।

चूंकि अधिनियम की धारा 7 के तहत् जिन संस्था को गौवंश सौंपा जाने के प्रावधान किये गये है उनमें प्रार्थी जो कि न तो उक्त गौवंश के मालिक स्पष्ट है और ना ही वो गौशाला गो–सदन आदि के संचालक है। उक्त 4 बैलों सहित कुल 19 बैलों को बिना टी.पी. व परमिट के ट्रक नं0 RJ27-GB-0797 में क्रूरता पूर्वक बिना चारा पानी की व्यवस्था के ठसाठस भर कर ले जाने दौरान पुलिस थाना नसीराबाद सदर द्वारा जब्त किया गया है। प्रार्थी उपरोक्त प्रावधानों के तहत् उपयुक्त व्यक्ति भी प्रतीत नहीं होता है। इसको गौवंश सौंपने पर इनके खुर्द बुर्द होने अथवा वध किये जाने की सम्भावना है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने कथनों पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का मय केस डायरी अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि पुलिस थाना नसीरावाद सदर द्वारा मुल्जिमान को बिना लाइसेन्स., परमीट एवं बिना किसी भी दस्तावेज के ट्रक सं0 RJ27-GB-0797 से गौवंश 19 बैलों को बिना चारे पानी की व्यवस्था के, क्रूरता पूर्वक ठसाठस भरकर परिवहन कर ले जाते हुये पकडा है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र कथनों को कोई ठोस आधार से साबित नहीं किया गया है, कृषि भूमि होने बाबत भी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। पुलिस द्वारा किये गये अनुसंधान दौरान भी प्रार्थी, गोवंश बैलों का मालिकाना हक सिद्व नहीं कर पाये है। उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचनानुसार प्रार्थी के कथन स्पष्ट नहीं है। जिस स्थिति में उक्त गोवंश बैलो को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है उससे इन्हे कटने के लिये अन्यत्र ले जाना स्पष्ट है। जब्तशुदा बैलों की देखरेख/चारे पानी की सुचारू व्यवस्था हेतु गौशाला, में अस्थाई सुपुर्दगी पर छोडा गया है। पुलिस अनुसंधान में मुल्जिमान के विरूद्ध धारा 9 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 व 11 डी ई पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत अपराध प्रमाणित पाया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 7 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत् जिन्हें अभिगृहित गौवंशीय पशुओं की अन्तरिम अभिरक्षा हेतु सुपुर्द किया जा सकता है उसमें गौवंशीय पशुओं के कल्याण के लिये कार्यरत मान्यता प्राप्त स्वेच्छिक संगठन या एजेन्सी, राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 के उपबन्धों के अधीन शासित गौशाला ऐसा कोई गौसदन, अथवा इन तीनों के अभाव में किसी भी अन्य एजेन्सी गौशाला, गौसदन या अन्य उपयुक्त व्यक्ति को सौंपने के प्रावधान है। चूंकि प्रार्थी उपरोक्त में से कोई भी नहीं है इसलिये प्रार्थी को उपरोक्त गौवंशीय पशु बैल अन्तरिम अभिरक्षा के लिये सुपुर्दगी प्राप्ति का उपयुक्त पात्र व्यक्ति नहीं पाये जाने से अभिगृहित गौवंश बैल इन्हें सुपुर्द किया जाना न्यायहित में उचित नहीं है लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उक्त तथ्यों के मध्यनजर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.12.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner